# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

**अपील संख्या 334/2023 (जीसीएमएस संख्या 2023/537)**

1. श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नी श्री लालराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम बाढभावसिंह, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0।
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री घीसाराम यादव,
3. महावीर पुत्र स्व. श्री घीसाराम यादव,
4. लालचंद पुत्र स्व. श्री घासाराम यादव, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बाढधूंधला, तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड।

**–अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, बानसूर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड।
2. श्री बनवारीलाल यादव पुत्र श्री मूला यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम बाढभावसिंह, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड।
3. श्री मुकेश यादव पुत्र श्री मातादीन यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम बाढभावसिंह, तहसील बानूसर, जिला कोटपूतली–बहरोड।

**–रेस्पोडेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 10.10.2023 प्रकरण संख्या 2023/4129 उनवानी गीता देवी व अन्य बनाम तहसीलदार बानसूर।

**उपस्थित–**

1. **श्री संदीप शर्मा , वकील अपीलान्ट**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो.नं. 1 की ओर से।**
3. **श्री अशोक उपाध्याय, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।**

**निर्णय**

**दिनांक 10.09.2024**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 10.10.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निहित क्षेत्राधिकार का गंभीर दुरूपयोग कर अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रशासनिक रूप से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.10.2023 को विधि के समस्त बाध्यकारी सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के विरूद्ध उसी समय स्वीकार कर सरासर अवैध आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थिया संख्या 1 ग्राम बाढधूंधला स्थित खसरा नम्बर 333 रकबा 0.2800 हैक्टेयर भूमि की अभिलिखित खातेदार एवं काबिज काश्तकार है तथा अपीलार्थी संख्या 2 लगायत 4 ग्राम बाढधूंधला स्थित भूमि खसरा नम्बर 329 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. चाह, 330 रकबा 0.36 हैक्टेयर एवं 343 रकबा 0.54 हैक्टेयर के अभिलिखित खातेदार काबिज काश्तकार है, जिन्होने दिनांक 22.09.2023 को अपनी खातेदारी की उक्त भूमियों के सर्वेक्षण एवं सीमाज्ञान के लिये संयुक्त रूप से तहसीलदार बानसूर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसे दर्ज कर दिनांक 03.10.2023 को तहसीलदार बानसूर ने भू अभिलेख निरीक्षक बानसूर एवं पटवारी हल्का बानसूर को आवेदित भूमियों का सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जिसकी कोई पालना नहीं की तथा उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा दिये गये अवैध आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना तुरन्त ही दिनांक 13.10.2023 को गोपनीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

तरीके से कर अपीलार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि के पूर्वी भू–भाग को रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के हिस्से में होना अंकित कर दिया जो सरासर अवैध कार्यवाही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश दिनांक 03.10.2023 की पालना से पूर्व ही दिनांक 10.10.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर यह कथन किया कि ग्राम बाढधूंधला स्थित भूमि खसरा नम्बर 333 व हमारे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 336 व 637/144 की डोल को लेकर वाद–विवाद होने की संभावना बनी हुई है। खसरा नम्बर 333 के खातेदार द्वारा भूमि की डोल तोडकर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही है। मौके पर विवाद होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसलिए उक्त आराजी का राजस्व टीम द्वारा निष्पक्ष सीमाज्ञान करवाकर डोल को कायम करवाकर गीता देवी एवं उसके परिवारजन को पाबंद फरमाया जावे। उक्त आवेदन के प्रस्तुत होते ही उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने उसी समय तहसीलदार बानसूर एवं थानाधिकारी बानसूर को अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया जो विधि के समस्त सुस्थापित सिद्धान्तों एवं सर्वमान्य नियमों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत आवदेन दिनांक 10.10.2023 पर ना तो न्याय शुल्क, ना ही कोई दस्तावेज अथवा ना ही कोई रिपोर्ट प्राप्त की, इतना ही नहीं उक्त आवेदन पर किसी भी प्रकार का कोई पृष्ठांकन अंकित कर दर्ज करने तक की प्रक्रिया नहीं की गयी। तदापि आवेदन में अंकित कथनों को ही शाश्वत सत्य मानते हुए उनके आधार पर अपने लेटरहेड क्रमांक/न्याय/2023/4129 दिनांक 05.10.2023 द्वारा तहसीलदार बानसूर एवं थानाधिकारी बानसूर को मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना होना अंकित करते हुए विवाद की प्रबल संभावना के असत्य एवं आधारहीन आक्षेपों को अक्षरशः सत्य मानते हुए आदेश जारी किया कि "प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट तीन दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें।" उक्त आदेश की पालना में दिनांक 13.10.2023 को पटवारी हल्का बानूसर, भू अभिलेख निरीक्षक बानसूर, पटवारी हल्का गिरूडी, पटवारी हल्का होलावास एवं स्वंय तहसीलदार बानसूर ने अपने अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए दो अलग–अलग मौका रिपोर्ट बनाई और दोनों रिपोर्टों को उपखण्ड अधिकारी बानसूर को प्रेषित कर अपने निहित क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का गंभीर दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थीगण के आवेदन का निस्तारण किए बिना ही मौके पर सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं अपीलार्थीगण को पाबंद करने की समस्त कार्यवाही कर दी जो सरासर अवैध, मनमाना एवं विधि विरूद्ध आदेश होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की भूमि ग्राम बाढधूंधला में है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि ग्राम बाढभावसिंह में है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थिया संख्या 1 की खातेदारी में अंकित भूमि खसरा नम्बर 333 की पूर्वी सीमा ग्राम बाढधूंधला की सीमा में है जो ग्राम बाढभावसिंह की राजस्व सीमा से लगती हुई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी खातेदारी में अंकित जिन भूमि खसरा नम्बर 336 का अंकन किया है उसी की पूर्वी सीमा ग्राम बाढधूंधला की पूर्वी सीमा है जिसके पूर्व की ओर मौजूद खसरा नम्बर 667/144 ग्राम बाढभावसिंह की पश्चिमी सीमा पर स्थित है अर्थात अपीलार्थी की भूमि की पूर्वी सीमा किसी भी अवस्था में ग्राम की सीमा से बाहर नहीं हो सकती है और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने जिस भूमि खसरा नम्बर 367/144 का विवरण अंकित किया है उसकी पश्चिमी सीमा ग्राम की सीमा से बाहर हो सकती है, किन्तु फिर भी तहसीलदार बानसूर, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का बानसूर एवं उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने षड्यंत्रपूर्वक कार्य करते हुए अपीलार्थिया संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 333 की लगभग मध्य में ग्राम बाढभावसिंह एवं ग्राम बाढधूंधला की सीमा कायम करने का अवैध एवं विधि विरूद्ध आदेश देकर सीमा कायम करने का कृत्य किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया कि बिना पत्रावली कायम किये बिना किसी आधार के बिना कोई रिकोर्ड का अवलोकन किये कयास के आधार पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2023 उपखण्ड अधिकारी बानसूर एवं उक्त अवैध आदेश की पालना में तैयार की गई दोनों मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2023 निरस्त फरमायी जाकर षडयंत्रकारी तीनों ग्रामों के पटवारी हल्का, आईएलआर एवं तहसीलदार बानसूर के विरूद्ध अनुशात्मक कार्यवाही किए जाने का निर्देश प्रदान किये जावे।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपुली बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करवाने एवं गीता देवी व उसके परिवारजनों को स्वंय की आराजी की सीमा तक रहने हेतु पाबन्द करवाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बाढधुन्धला के आराजी खसरा नम्बर 333 व हमारे आराजी खसरा नम्बर 336 व 637/144 की डोल को लेकर वाद–विवाद (झगडा) होने की सम्भावना बनी हुई। खसरा नम्बर 333 के खातेदार गीता पत्नी लालाराम व उसके परिवारजनों (लालाराम, महावीर, सन्दीप, विक्रम वगैरहा) के द्वारा पिछले कई दिनों से हमारी आराजी की डोल तोडकर उसमें घुसने की कोशिश की जा रही है। जिस कारण से मौके पर तनाव पूर्ण माहौल बना हुआ है। जिससे विवाद की प्रबल सम्भावना बनी रहती है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त जनों के द्वारा स्वंय की आराजी का सीमाज्ञान का आवेदन किया हुआ है। अतः इनकी आराजी का राजस्व टीम द्वारा निष्पक्ष सीमाज्ञान करवाकर डोल को कायम करवा कर गीता देवी व उसके परिवार जनों को अपनी स्वंय की आराजी की सीमा तक रहने हेतु पाबन्द करवाने की कृपा करें। जिससे की आये दिन वाद–विवाद होने की समस्या से बचा जा सके और मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम रहे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपने पत्र क्रमांक/न्याय/2023/4129 दिनांक 10.10.2023 द्वारा तहसीलदार बानसूर एवं थानाधिकारी बानसूर को मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना होना अंकित करते हुए विवाद की प्रबल संभावना के मद्देनजर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट तीन दिवस में अवगत कराना सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष एक साधारण प्रार्थना पत्र बाबत भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने बाबत प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.10.2023 द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से 3 दिवस में अवगत कराने हेतु तहसीलदार बानसूर एवं थानाधिकारी बानसूर को लिखा गया है। चूँकि भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान प्रावधित किये गये है जिनके अनुसार ही कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुऐ पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक आदेश/निर्णय पारित किये जाने चाहिये किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2023 जारी करने से पूर्व न्यायिक प्रक्रिया की पालना नही की गई है तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया है जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2023 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में न्यायिक सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की जाकर, राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की जॉच कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों की पालना करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप समरी जॉच पश्चात गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

( डॉ. प्रवीण कुमार )
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 10.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर